

डिकी मुकदमा इजादाई

(श्री 20 नम 8-7 जागत दीवानी)

जज अदासत-म्याक्सिम राजमक कसकर (कास्ट-ट्रेक) बीदीकुई मुकाम-बीदीकुई


जज इजलास ताम्हीह राजमक आर ए एन सभमक कसकर (कास्ट ट्रेक) बीदीकुई

उमम्याक- भीती बनाव सासारातम घरी.


दादा उदधोबना दुसस्ती इन्दाज खातेदारी एवं स्थायी निवेद्याज्ञा व बेदखली बाबत

मुकदमा नं- मु न 13/2022

आदेश है कि याद घाटीगण दादा उदधोबना दुसस्ती इन्दाज खातेदारी एवं स्थायी निवेद्याज्ञा व बेदखली बाबत भूमि कास्त स्थित पीछूकका करवा सहरीस बादीकुई जिला दौरा भूमि कास्त खसरा नम्बर 800 रकबा 0.18 हेक्टरे खसरा नम्बर 801 रकबा 0.23 हेक्टरे खसरा नम्बर 802 रकबा 0.23 हेक्टरे खसरा नम्बर 803 रकबा 0.49 हेक्टरे खसरा नम्बर 804 रकबा 0.48 हेक्टरे खसरा नम्बर 805 रकबा 0.48 हेक्टरे खसरा नम्बर 807 रकबा 0.23 हेक्टरे खसरा नम्बर 808 रकबा 0.28 हेक्टरे खसरा नम्बर 809 रकबा 0.47 हेक्टरे खसरा नम्बर 810 रकबा 0.18 हेक्टरे खसरा नम्बर 820 रकबा 0.18 हे हेक्टरे कुल जिला 11 रकबा 3.38 हेक्टरे वर पीपणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निज मुबलिन बाबत खर्चा इरा मुकदमे के मय मुद मसरह 0 धीरादी सासाक आज की तारीख से तारीख अदायगी तक... का अदा करे। बराक ये दस्तखत व मुहर अदासत के आज तारीख 13 मरह 03 सन् 2028 को जारी की गई।


 (रामरतन चखाबरा)
 मनायक कसकर ए ए एन
 सहायक सिसिस्ट्रियल (ट्रेक)
 बीदीकुई

मुदा	कपडे	दिने	मुदकसई	कपडे	दिने
स्टाम्प	अजी	मिस	स्टाम्प	अजी	मिस
दादा	स्टाम्प		दादा	स्टाम्प	
अजी	मउन्तना		अजी	मउन्तना	
बकीम	खर्चा		बकीम	खर्चा	
मवादान	कीत		मवादान	कीत	
कमिशनर	बाबत		कमिशनर	बाबत	
इजराय	हुकूमनाका		इजराय	हुकूमनाका	
मुतकरिक	पीजवन		मुतकरिक	पीजवन	


 (रामरतन चखाबरा)
 मनायक कसकर ए ए एन
 सहायक सिसिस्ट्रियल (ट्रेक)
 बीदीकुई

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट-ट्रेक) बांदीकुई

मुकदम नम्बर 15 / 2022

न्यायालय हाजा व दर्ज दिनांक 03.01.2022

निर्णय दिनांक 13.03.2022

उपनाम

1. भीती पुत्री हीरालाल
2. म्हेनु पुत्र हीरालाल
3. सीमा पुत्री हीरालाल
4. रामू पुत्र हीरालाल
5. कमलेश पुत्र हीरालाल
6. चन्दु पुत्र हीरालाल
7. लजू पुत्र हीरालाल
8. विन्दु पुत्र हीरालाल

समस्त जायतेयान बाह्यन निवासी पीचुपाका कला तहसील बांदीकुई जिला दीसा।

-बादीगन

बनाम

1. सात्ताराम पुत्र रामेश्वर (फीत के बजाय)
- 1/1 प्रभात पारसर पुत्र सात्ताराम
- 1/2 भावेश पारसर पुत्र सात्ताराम
- 1/3 ममता शर्मा पत्नी सात्ताराम
2. नरेश पुत्र रामेश्वर
3. शरदा पत्नी रामेश्वर
4. जम्हूरी देवी पत्नी जगन्नाथ प्रसाद
5. हरिप्रसाद पुत्र भाग्या
6. किशनलाल पुत्र बन्नी (फीत के बजाय)
- 6/1 सुरेश पुत्र किशनलाल
- 6/2 रमेश पुत्र किशनलाल
- 6/3 पुट्टन पुत्र किशनलाल
- 6/4 जितेन्द्र पुत्र किशनलाल
- 6/5 दिनेश पुत्र किशनलाल
- 6/6 विन्नु पुत्र किशनलाल
- 6/7 नीला पुत्री किशनलाल
- 6/8 रेखा पुत्री किशनलाल
7. हीरालाल पुत्र बसता
8. रामकिशन पुत्र बंशी
9. साविता पुत्र मेका
10. शकुन्ताला पत्नी किशनलाल समस्त जाति बाह्यन निवासी पीचुपाका कला तहसील बांदीकुई जिला दीसा

अथ
महायुक्त कलेक्टर एवं
जामाहासक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

11. देवप्रकाश पुत्र राममोहन जाति सोने निवासी आगरा गेट के पास बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दीसा।

12. बृजेरा कुमार वर्मा पुत्र रामेशचन्द्र वर्मा जाति सुनार निवासी तुलसे नगर कोटला मुहम्मदपुर नई दिल्ली पकाने न. जी 767

13. शारदा देवी फली प्रभुदयाल } जाति गुर्जर निवासी गुजरबास
14. मीरा देवी फली जयराम } पीछूपाडा कसा तह बांदीकुई जिला दीसा।

15. मुन्नी पुत्री हीरालाल फली गजानन्द } जाति ब्राह्मण निवासी गीरगढ
16. बबली पुत्री हीरालाल फली मडेरा } तहसील सिकराय जिला दीसा।

17. लक्ष्मी पुत्री हीरालाल फली जितेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी खोड तहसील सम्भलगढ जिला अलवर।

- प्रतिवादीगण

उपरिधत बादी अधिवक्ता अनुरोध गुर्जर एडवोकेट
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री जगदेव कसाना एडवोकेट

दावा उद्घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज खातेदारी एवं स्थायी निवेद्याज्ञा व बेदखली बाबत
भूमि कारत स्थित पीछूपाडा कसा तहसील बांदीकुई जिला दीसा।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 13.03.2026

दाद बादी दावा उद्घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज खातेदारी एवं स्थायी निवेद्याज्ञा व बेदखली बाबत भूमि कारत स्थित पीछूपाडा कसा तहसील बांदीकुई जिला दीसा का न्यायालय उपजिला कसंकर बांदीकुई के न्यायालय पेश किया गया उक्त प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजी में स्थानान्तरित होकर पेश हुआ जिसका स्थायी विवरण निम्न प्रकार है- भूमि कारत खसरा नम्बर 600 रकबा 0.19 हैक्टैर खसरा नम्बर 601 रकबा 0.23 हैक्टैर खसरा नम्बर 602 रकबा 0.23 हैक्टैर खसरा नम्बर 603 रकबा 0.49 हैक्टैर खसरा नम्बर 605 रकबा 0.46 हैक्टैर खसरा नम्बर 606 रकबा 0.46 हैक्टैर खसरा नम्बर 607 रकबा 0.23 हैक्टैर खसरा नम्बर 608 रकबा 0.28 हैक्टैर खसरा नम्बर 609 रकबा 0.47 हैक्टैर खसरा नम्बर 610 रकबा 0.18 हैक्टैर खसरा नम्बर 620 रकबा 0.15 हैक्टैर कुल जित 11 रकबा 3.38 हैक्टैर लगानी 179/- रुपये 14 पैसे स्थित है जिसके प्रतिवादीगण राख्या। लगान 15 वर्गमिटर राजस्व अभिलेख में खातेदार कारतकार अभिलेख हो रहे है। नकल जमाबन्दी पेश है। उक्त भूमि कारत के भू-प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 144 रकबा 13 बीघा 12 दिसा काही बागानी रही है। जिसमें श्रीनारायण, बसन्त, सश्रीनारायण, बादी, मीना पुत्राण रामरतन ब्राह्मण बराबर हिस्से के खातेदार कारतकार रहे है। नकल मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी पेश है। उक्त खातेदार को मृत्यु के पश्चात विवाहित भूमि बादीगण के पिता हीरालाल पुत्र बसन्त 1/5 व हीरालाल पुत्र श्रीनारायण 1/10 हिस्सा प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार भूमि अन्य उत्तराधिकारी प्रतिनिधियों को प्राप्त हुयी है। चरण राख्या एक दाद पत्र में वर्णित भूमि कारत प्रतिवादी राख्या सातको उसके पूर्वजों से प्राप्त हुयी है। और हिन्दू विधि तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवार में पुत्र या पुत्री में जन्म लेते ही पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्ति पर अधिकार हो जाता है और इस प्रकार बादीगण को उक्त वर्णित भूमि में हीरालाल को समकक्ष बराबर बराबर के हिस्सेदार है इस प्रकार प्रादेक बादी 1/12 तथा

अथ

प्रतिवादी 7, 18, 17 का प्रायेक का 1/12 1/12 का हिस्सेदार हकदार है। प्रतिवादी सख्या सात हीरासाल ने वादीगण के बिना सूचना व सूचनापत्र बिना किसी अधिकार विधि विपरीत प्रतिवादी सख्या 12 व 13 को वादीगण के एक व अधिकार की भूमि में से 25/338 हिस्से का दिनांक 20/4/2009 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बिना प्रतिकूल प्राप्त किये हो बेवान कर दिया और इसी प्रकार प्रतिवादी सख्या सात हीरासाल ने दिनांक 28/9/2013 को पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी सख्या 10 सुरेश को अपने 1/10 हिस्से का बिना प्रतिकूल प्राप्त किये ही बिना एक अधिकार विधि विपरीत बेवान कर दिया तथा दिनांक 28/9/2013 को ही विक्रयित भूमि में से 428/3380 हिस्से का बिना प्रतिकूल प्राप्त किये ही बिना एक अधिकार पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी सख्या 11 को बेवान कर दिया प्रतिवादी हीरासाल से वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचने का कोई अधिकार नहीं था और न है। समस्त विक्रय पत्र व बेवान वादीगण के विरुद्ध अर्ध शुल्क व निष्पत्ती है। इससे वादीगण स्वीकार नहीं करते है। म्यादालय अपर जिला एवम् सेशन म्यादाधीन बादीकुर्रु में एक सिविल प्रकरण किशनसाल बनाम हीरासाल सख्या 14/10 सख्या 7 में म्यादालय द्वारा प्रतिवादी/हीरासाल व प्रतिवादीगण सख्या 12, 13, व अन्य प्रतिवादीगण को विक्रयित भूमि को बेवान के लिए वाहन्त कर रखा था इसके बावजूद प्रतिवादी सख्या सात हीरासाल ने प्रतिवादीगण सख्या 10 व 11 को वाबन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए बेवान किया है जो धारा 52 सम्पत्ति अन्तर्गत अधिनियम के अन्तर्गत अर्ध शुल्क व निष्पत्ती है जो स्वयमेव भी कनिस्त है और प्रतिवादीगण सख्या 10 व 11 को कोई अधिकार पत्र बिना प्रतिकूल प्राप्त किये ही बेवान कर दिया और इसी प्रकार प्रतिवादी सख्या सात हीरासाल ने दिनांक 28/9/2013 को पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी सख्या 10 सुरेश को अपने 1/10 हिस्से का बिना प्रतिकूल प्राप्त किये ही बिना एक अधिकार विधि विपरीत बेवान कर दिया तथा दिनांक 28/9/2013 को ही विक्रयित भूमि में से 428/3380 हिस्से का बिना प्रतिकूल प्राप्त किये हो बिना एक अधिकार पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी सख्या 11 को बेवान कर दिया प्रतिवादी हीरासाल से वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचने का कोई अधिकार नहीं था और न है। समस्त विक्रय पत्र व बेवान वादीगण के विरुद्ध अर्ध शुल्क व निष्पत्ती है। इससे वादीगण स्वीकार नहीं करते है। म्यादालय अपर जिला एवम् सेशन म्यादाधीन बादीकुर्रु में एक सिविल प्रकरण किशनसाल बनाम हीरासाल सख्या 14/10 सख्या 7 में म्यादालय द्वारा प्रतिवादी/हीरासाल व प्रतिवादीगण सख्या 12, 13, व अन्य प्रतिवादीगण को विक्रयित भूमि को बेवान के लिए वाहन्त कर रखा था इसके बावजूद प्रतिवादी सख्या सात हीरासाल ने प्रतिवादीगण सख्या 10 व 11 को वाबन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए बेवान किया है जो धारा 52 सम्पत्ति अन्तर्गत अधिनियम के अन्तर्गत अर्ध शुल्क व निष्पत्ती है जो स्वयमेव भी कनिस्त है और प्रतिवादीगण सख्या 10 व 11 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त कंस नम्बर 14/10 में प्रतिवादीगण सख्या 12 व 13 रहने हुए काने को प्रतिबन्धित थे उसके बावजूद किशनसाल प्रतिवादी सख्या 8 को 12.5 एकर भूमि का विक्रय पत्र पंजीकृत करा दिया जो स्वत ही ए ही और वादीगण के विरुद्ध यह शुल्क व निष्पत्ती है। वादीगण को जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त बेवान कनिस्त कराने व भूमि पर से नाजायज कब्जा हटाने के लिये दिनांक 1/8/2014 को कहा तो इन्कार हो गये और झगडा करने को उत्पन्न हो गये इसलिये दावा करना आवश्यक हुआ है। वादीगण के हक अधिकारों को भुंकरण पहुँचते हुए नाजायज कायदा यह है कि प्रतिवादीगण सख्या 8, 10, 11 व 12, 13 भूमि पर उक्त रहे है इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को 10,000/- रुपये साताना हर्जा खर्चा प्राप्त करने के अधिकारी है। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के सौदिसियत के लिए प्लकार बनाया गया है परन्तु उनके विरुद्ध कोई अनतीव नहीं चाहा गया है। दिनांक 7/8/2014 योम इन्कार कब्जा राने व रजिस्ट्री कनिस्त कराने से म्यादालय क्षेत्र में उत्पन्न हुयी है भूमि कास्त व प्लकारान म्यादालय क्षेत्र में है इसलिये म्यादालय हाजा को वाद सुनने का अधिकार प्राप्त है। नातियत दावा बिनावर अधिकार सम्पन्न बजदाय कोर्ट फीस राजस्थान कारतकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दो रुपये भुंकर होने से कुल 10/- रुपये कोर्ट फीस पर पैरा है। अतः इसदुजा है कि वाद तहकीकत दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार किडि परित की जावे- अर्ध वादीगण की भूमि कास्त खसरा नम्बर 600 रकबा 0 19 ईक्ट= 601 रकबा 0.23 ईक्ट=, 602 रकबा 0.23 ईक्ट=, 603 रकबा 0.49 ईक्ट=, 605 रकबा 0.48 ईक्ट=, 606 रकबा 0.48 ई=, 607 रकबा 0.23 ईक्ट=, 608 रकबा 0.28 ईक्ट= 609 रकबा 0.47 ईक्ट=, 610 रकबा 0

अथ


18 हेक्टे० 620 रुकबा 0.16 हेक्टे०, कुल किरा 11 कुल रुकबा 3.38 हेक्टे० लगानी 179/- रुपये 14 पैसे वाले साथ पीपुपाडा कला तहसील बसवा हल तहसील बादीकुई का प्रतिवादी हीरासाह के हक में राज्य अभिलेख में पूर्वजों से आयी हुयी जमिन में प्रत्येक बादों का 1/12 हिस्सा प्रांविता किया जावे और इसे अनुसार राज्य अभिलेख में दुठस्ती कर इन्जाज किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 8, 10, 11, 12, 13 के हक में जो प्रतिवादी संख्या 7 हीरासाह में जो बयनाम पंजीकृत कराया है वह वादीगण के विरुद्ध अर्ध गुप्त व निम्नभायी है वादीगण इन्कार करते है और वादीगण विवदित भूमि में से उक्त प्रतिवादीगण के नाम हजक कराकर राज्य अभिलेख दुठस्ती कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 8, 10, 11, 12, 13 को वादीगण के हक व अधिकार में प्राप्त भूमि पर से बेदखल किया जाकर वादीगणों को रुकबा दिसाया जावे तब तक का सासाना हाजा 10,000/- रुपये दिसाया जावे। प्रतिवादीगण को वाकन्द किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से कहजे कारत में किसी प्रकार को ब्या उत्पन्न न करे व कोई हस्तक्षेप करे। यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिसवा या जावे। या अन्य सहायता जो ब्याव संगत हो वादीगण को दिसादी जावे।

बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तसवी प्रतिवादीगण की गर्ज प्रकरण में 8, 9, 10, 11, 14, 15 उपस्थित हुये पत्र की एक पथीय कारदवाही की गर्ज। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8, 10, 11 की और से जवाब निम्न प्रकार पेश किया गया है:- बाद पत्र का पैरा संख्या एक अभिलेखीय है। बाद पत्र का पैरा संख्या 2 अभिलेखीय है। बाद पत्र का पैरा संख्या तीन गलत है स्वीकार नहीं है। बाद पत्र का पैरा संख्या चार गलत है स्वीकार नहीं है। बाद पत्र का पैरा संख्या 5 में प्रतिवादी हीरासाह द्वारा वादीगण की जानकारी में प्रतिकल की चुकती रुकम प्राप्त करके प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को जरिये रजिस्टर्ड बयनाम बय करवा तथा रुकबा कराया जाना सही है वादीगण का यह कहना कि उक्त विक्रय हीरासाह द्वारा बिना प्रतिकल की रुकम प्राप्त किये अथवा बिना अधिकार अथवा गुप्त गुप्त में अथवा उनकी अदम जानकारी में द्विधि विरुद्ध किया जाना कताई गलत दर्ज किया गया है उक्त बयनामों का अर्ध अथवा निम्नभायी होना भी गलत दर्ज किया गया है। हीरासाह के नाम खातेदारी होने से तथा उसके कर्बिज खातेदार होने से तथा उसके वादी पक्ष का कर्ता खानदान होने से उस अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से उसने वादीगण को चुलासा जारी में तथा उनकी सहमति से प्रतिकल की चुकती रुकम प्राप्त होना स्वीकार करने तथा रुकबा हम प्रतिवादीगण को करा देना स्वीकार करके उक्त पंजीकृत बयनाम के जरिये भूमि बादपत्र में अपने समस्त अधिकार हम प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को अन्तर्गत कर दिये है तथा उनका उसने कोई हक करनेवा रुकबा अथवा खातेदारी नहीं बच रह गयी है तथा उक्त बयनामों को निरस्त कराये बिना वादीगण अपने बाद पत्र में चाहा या कोई अनुलोभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा उनका दावा इसी बिना पर निरस्त किये जाने योग्य है। यही यह दर्ज करना भी प्रातीतिक है कि उक्त बयनामों की प्यता बाबत विचारण करने तथा निर्णय करने के अधिकार केवल सिविल म्यायालय को हॉसिल होने से दावा हाजा के धयनाधिकार म्यायालय हाजा को हॉसिल नहीं है। बाद पत्र का पैरा संख्या 6 गलत है स्वीकार नहीं है उक्त पैरा में दर्ज तथ्यों की बाबत केवल मंत्र म्यायालय अपर जिला जज महोदय बादीकुई ही तलम है इराकी बयत म्यायालय हाजा को विचारण करने के अधिकार हॉसिल नहीं है। बाद पत्र का पैरा संख्या 7 गलत है स्वीकार नहीं है। बाद पत्र का पैरा संख्या 8 गलत है स्वीकार नहीं है। बाद पत्र का पैरा संख्या 9 गलत है स्वीकार नहीं है। बाद पत्र का पैरा संख्या 10 गलत है स्वीकार नहीं है बाद पत्र का पैरा संख्या 11 गलत है स्वीकार नहीं है। वादीगणों को कोई बाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तभी म्यायालय हाजा को मुकदमे के धयनाधिकार हॉसिल नहीं है। बाद पत्र का पैरा संख्या 12 गलत है स्वीकार नहीं है। इस्तदुआ दादरसी भी गलत है स्वीकार नहीं है (यह है कि दावा हक कानून कायदा प्रस्तुत नहीं किये जाने से कर्बिते पैरा बत नहीं है। भूमि कस्त आरप्रियत खसरा नम्बर 600 लगायत 603, 605 लगायत 610 तथा 620 कुल 3.38 हेक्टेयर तथा पीपुपाडा कला तहसील बसवा हल तहसील बादीकुई के वाले है। किराके रेटिसमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 144 रुकबा 13 बीघा 12 बिसवा रहे थे जितने हीरासाह प्रतिवादी में अपने चुकती हिस्से को उराने दिनांक 01/07/1992 को उसी अपनी यह जरूरीयात की पूर्ति हेतु रुपयों की संकल आवश्यकता हुयी तो उराने अपनी राजी कुर्ती एडम खेवजा से भूमि बादपत्र में अपने चुकती हिस्सा को मिन किरानसाह प्रतिवादी तथा प्रतिवादी हरिप्रसाद को एक साथ इकतालीस हाजार रुपये में

अथ

विक्रय करने का निराकरण करके तथा प्रतिवादी किसानसाल तथा हरप्रसाद से प्रतिफल की चुकती रकम एक लाख इकतासी हजार रुपये प्राप्त करके बहक प्रतिवादी किसान साल तथा हरप्रसाद कर्ताई बच कर दिया तथा हीरासाल प्रतिवादी ने भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 144 रकबा 13 बीघा 12 बिसवा एम पीयुपाडा जसा तहसील में बसवा ने अपना चुकती हिसाब मिन प्रतिवादी किसानसाल एम हरप्रसाद को सम्भाल भकताई बच करके उन्हें उरा पर इकीकी कब्जा करा दिया तथा हीरासाल प्रतिवादी ने भूमि वादग्रस्त में अपना कोई हक, हिस्सा, इकत खातेदारी, कब्जा या अन्य कोई अधिकार अथाकर नहीं रखा तथा उरी एक उक्त हीरासाल प्रतिवादी ने दिनांक 01/07/1992 को करार कर दिया कि जब भी किसानसाल अथवा प्रतिवादी हरप्रसाद कहेगा तो वह कि उन उनके हक में रजिस्ट्री बयनाम तहसीर एम। तकमील करा देगा तथा फिर उसने उरी दिन तहसील में जाकर 10/-रुपये का स्टाम्प खरीद कर उस पर स्वतः गवाहान शिबदान सिंह रातनसाल, प्रमूदयाल मिन, प्रतिवादी किसानसाल एम प्रतिवादी हरप्रसाद, श्री प्रकाश चन्द जैन एडवोकेट से उक्त स्टाम्प पर उक्त विक्रय बाबत एक इकरारनाम तहसीर कराया दिया तथा उसे पत्र व सुनकर शाही होना स्वीकार करके स्वतः गवाहान उक्त शिबदानसिंह, रातनसाल तथा प्रमूदयाल तथा प्रतिवादीगण हरप्रसाद एम किसानसाल के देखते हुए हमारे सामने उक्त इकरारनाम में दर्ज तथ्यों को स्वीकार करके तथा प्रतिफल की रकम एक लाख इकतासी हजार रुपये प्रतिवादी। किसानसाल तथा प्रतिवादी हरप्रसाद से चुकती प्राप्त कर लेना स्वीकार करके तथा भूमि उक्त विक्रय की गती पर मिन किसान साल एम प्रतिवादी प्रतिवादी हरप्रसाद का इकीकी कब्जा करा देना स्वीकार करके तथा किसानसाल अथवा हरप्रसाद के कहने पर उक्त भूमि विक्रय की गती का रजिस्टर्ड बयनाम किसानसाल एम हरप्रसाद, प्रतिवादीगण के हक में तहसीर तकमील एम पंजीकृत कराने का करार करना स्वीकार करके तथा उक्त समस्त तथ्य अपनी राजीखुशी अपनी स्वेच्छा से उक्त इकरारनाम में दर्ज करना स्वीकार करके उक्त इकरारनाम पर अपनी स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा अपनी मौजूदगी में अपने सामने उरा पर गवाहान शिबदानसिंह रातनसाल, प्रमूदयाल के हस्ताक्षर करा दिया तथा श्री प्रकाश चन्द एडवोकेट ने भी उक्त इकरारनाम पर अपनी बकसम बाबत हस्ताक्षर करके उस पर अपनी सील मोहर लगादी तथा उक्त इकरारनाम मिन, प्रतिवादी किसानसाल के हवाले कर दिया जो मिन, प्रतिवादी किसानसाल ने दावा तकमील मुहयदा दाखिल करते समय म्यायालय अवर जिला जज महोदय सीदीकुई में प्रस्तुत कर रखा है जिसने हीरासाल प्रतिवादी ने उक्त करार को स्वीकार करते हुए राजीनाम प्रस्तुत कर दिया। हीरासाल के नाम खातेदारी होने से तथा उसके कर्बिज खातेदार होने से तथा उसमें दादी पस का कर्त खानदान होने से उसे अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रूपये को आवश्यकता होने से उसने वादीगण की खुलारा जानकारी से तथा उनकी सहमति से, प्रतिफल की चुकती रकम प्राप्त होना स्वीकार करके तथा कब्जा हम प्रतिवादीगण को करा देना स्वीकार करके उक्त पंजीकृत बयनाम के जरिये भूमि वादग्रस्त में अपने समस्त अधिकार हम प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को अन्तरीत कर दिये है तथा उनका उराने कोई हक अथवा कब्जा अथवा खातेदारी नहीं बच रह गयी है। तथा उक्त बयनाम को निरस्त करके दिना वादीगण अपने वाद पत्र में माहा गया कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा उनका दावा इसी दिना पर निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त करार बहक किसानसाल तथा विक्रय बहक हक प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के समय से ही भूमि वादग्रस्त पर हम प्रतिवादीगण का सगता कब्जा एवं कागत बला आ रहा है तथा हीरासाल प्रतिवादी अथवा वादीगण का कब्जा अथवा कागत नहीं होने से बरोज दावरी दावा अथवा उससे पूर्व अथवा बाद दावरी दावा वादीगण का भूमि वादग्रस्त पर कब्जा अथवा कागत नहीं होने से तथा उन्हें कब बेदखल किया इस बाबत कोई तारीख दर्ज नहीं करने से वादीगण कर्बिले पैरा रफ्त नहीं है। वादीगण ने उक्त पंजीकृत बयनामों को अर्ध नून् एम निरुमादी घोषित किये जाने की दादरती चाही है जो म्यायालय हजा के क्षेत्रधिकार के अभाव में प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है तथा बिना उक्त बयनामों को अर्ध घोषित किये वादीगण अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त बयनामों की वैधता बाबत विचारण करने तथा निर्णय करने के अधिकार केवल सिविल म्यायालय को हसित होने से दावा हजा के अदनाधिकार म्यायालय हजा को हसित नहीं है। अत वादोस्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण पर हजा खर्चा खरिज फरमाया जाये।

उक्त जवाब पैरा होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयत कायम की गई।


 सहायक क्लर्क एम
 फायोफायरक/मजिस्ट्रेट
 (कॉस्ट डेक) गण्ड

संख्या 1 आया वादीगण इलाहाबाद के अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती कराने का अधिकारी है। वादी ।

संख्या 2 आया वादी विवादित भूमि में कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ।

संख्या 3 आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निवेशाज्ञा से परबन्ध कराने का अधिकारी है। वादी ।

संख्या 4 आया वादी द्वारा दावा कानूनन गतता तरीके से पेश किया है। प्रतिवादी ।

संख्या 5 आया प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि विक्रयफल की चुकती रकम अदा कर खरीदी गई है। प्रतिवादी ।

6 अनुतोष -

प्रकरण में संशोधित संश्लेषण कायम की गई।

संख्या 1 आया वादीगण का कर्ता खानदान हीरासाल प्रतिवादी संख्या 10, 11 को जर्द पंजीकृत धनान्य के समस्त अधिकारों अंतर्गत किये गये हैं धनान्य निरस्त कराये दिनांक के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी नहीं हैं। धनान्य नाम के की बेधता बाबत क्षेत्रधिकार सिविल न्यायालय को हस्तित न्यायालय हाजरा के क्षेत्रधिकार में नहीं है। प्रतिवादी

संख्या 2 आया वादप्रस्त भूमि पर वास्तविक कब्जा वादीगण नहीं होने से वाद वादीगण स्वार्थ निकेधाज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ।

प्रकरण वादी सत्य पर नियत किया गया वादीगण की ओर से सत्य सत्य पत्र भीती पुत्री हीरासाल, चन्द पुत्र हीरासाल, का पेश किया गया जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादीगण की ओर से सत्य सत्य पत्र सुरेश पुत्र किरण सल, मुकेश पुत्र रामचरण का पेश किया गया। जिरह वादीगण अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रकरण बहस पर नियत किया गया। बहस समय प्ल सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 वर्तमान राजस्व अभिलेख में खातेदार करतकार अंकित हो रहे हैं। मकस जमाबन्दी पेश है। उक्त भूमि कागत के मू-प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 144 रकबा 13 बीघा 12 बिसवा घाही बरानी रही है। जिसमें श्रीनारायण, बरन्ता, स्वामीनारायण, बट्टी, योगा पुत्रान रामरतन बाबल बरन्ता हिस्से के खातेदार करतकार रहे हैं। उक्त खातेदारान को मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि वादीगण के पिता हीरासाल पुत्र बरन्ता 1/9 व हीरासाल पुत्र श्रीनारायण 1/10 हिस्सा प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार भूमि अन्य उत्तराधिकारी प्रतिनिधियों को प्राप्त हुयी है। वर्तित भूमि कागत प्रतिवादी संख्या सात को उराके पूर्वजों से प्राप्त हुयी है और हिन्दू विधि तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवार में पुत्र या पुत्रों ने जन्म लेते ही पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्ति पर अधिकार हो जाता है और इस प्रकार वादीगण को उक्त वर्तित भूमि में हीरासाल को समकक्ष बरन्ता बरन्ता के हिस्सेदार है इस प्रकार प्रायेक वादी 1/12 तथा प्रतिवादी 7, 10, 17 का प्रायेक का 1/12, 1/12 का हिस्सेदार हकदार है हीरासाल ने वादीगण के बिना सूचना व सूचनाय दिना किराी अधिकार विधि विपरीत प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को वादीगण के एक व अधिकार की भूमि में से 25/338 हिस्से का दिनांक 20/4/2009 को जर्दिये पंजीकृत विक्रय पत्र बिना प्रतिकल प्राप्त किये हो बेधान कर दिया और इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या सात हीरासाल ने दिनांक 26/9/2013 को पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 10 सुरेश को अपने 1/10 हिस्से का दिना प्रतिकल प्राप्त किये ही दिना हक अधिकार विधि विपरीत बेधान कर दिया तथा दिनांक 26/9/2013 को ही विवादित भूमि में से 426/3380 हिस्से का दिना प्रतिकल प्राप्त किये ही बिना हक अधिकार पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 11 को बेधान कर दिया प्रतिवादी हीरासाल से वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचने का कोई अधिकार नहीं था और न ही । समस्त विक्रय पत्र व बेधान वादीगण के विरुद्ध अतीत गुन्ध व निषेधाधी है। इससे वादीगण स्वीकार नहीं करते हैं। न्यायालय अपर जिला एग्न सेशन न्यायाधीश वादीकुई में एक सिविल प्रकरण किशनसाल बनम हीरासाल संख्या 14/10 संख्या 7 में

246

म्यायालय द्वारा प्रतिवादी/ हीराताल व प्रतिवादीगण संख्या 12, 13 व अन्य प्रतिवादीगण को विवादित भूमि को बेघान के लिए पाबन्द कर रखा था इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या सात हीराताल ने प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को पाबन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए बेघान किया है जो धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत अदोष शुभ्य व निष्प्रभावी है जो स्वयमेव भी कॅन्सिल है और प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को कोई अधिकार पत्र बिना प्रतिकूल प्राप्त किये ही बेघान कर दिया और इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या सात हीराताल ने दिनांक 26/9/2013 को पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 10 सुरेश को अपने 1/10 हिस्से का बिना प्रतिकूल प्राप्त किये ही बिना एक अधिकार दिधि विपरीत बेघान कर दिया तथा दिनांक 26/9/2013 को ही विवादित भूमि में से 428/3380 हिस्से का बिना प्रतिकूल प्राप्त किये ही बिना एक अधिकार पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 11 को बेघान कर दिया प्रतिवादी हीराताल से वादीगण के हिस्से को भूमि को बेघान का कोई अधिकार नहीं था और न ही। संपत्ति विक्रय पत्र व बेघान वादीगण के विरुद्ध अदोष शुभ्य व निष्प्रभावी है। इससे वादीगण स्वीकार नहीं करते हैं। म्यायालय अपर जिला एवम् सीशन म्यायाधीश वादीकुर्छु में एक निव्विल प्रकरण किरानताल बनाम हीराताल संख्या 14/10 संख्या 7 में म्यायालय द्वारा प्रतिवादी/ हीराताल व प्रतिवादीगण संख्या 12, 13, 9 अन्य प्रतिवादीगण को विवादित भूमि को बेघान के लिए पाबन्द कर रखा था इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या सात हीराताल ने प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को पाबन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए बेघान किया है जो धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत अदोष शुभ्य व निष्प्रभावी है जो स्वयमेव भी कॅन्सिल है और प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः दावा स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब दावे को दोहराते हुये तर्क किया है कि वादीगण ने उक्त दावा वासी अधिवक्ता एवं बंदखसी का प्रस्तुत किया है कि भूमि वादप्रस्त में उन्हें व बजह उत्तराधिकार हकूक खातेदारी प्राप्ता हुए हैं जिसे हीराताल प्रतिवादी ने दिनांक 20.04.2009 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 12,13 को तथा उक्त हीराताल प्रतिवादी ने दिनांक 26.09.2013 को मिन प्रतिवादी संख्या 10 सुरेश को अन्तरित कर दिया है जो उक्त भूमि की बाबत सिविल म्यायालय में चल रहे मुकदमे के दौरान किया गया है तथा धारा 52 टीएपी एक्ट का उल्लंघन नहीं है। वादीगण का यह भी कथन है कि उक्त बेघान सिविल कोर्ट द्वारा दिये गये रजिस्टर के बावजूद किया गया है तथा उक्त प्रतिवादीगण ने भूमि वादप्रस्त पर कब्जा कर रखा है जिससे बंदखस कथना जावे। इत्यादि हम प्रतिवादीगण ने अपना वादप्रस्त प्रस्तुत करके वादी के दावे का खण्डन किया तथा अपने वादप्रस्त में कथन किया है कि प्रतिवादी हीराताल द्वारा वादीगण की जानकारी में प्रतिकूल की चुकती रकम प्राप्त करके प्रतिवादीगण संख्या 10,11 को जरिये रजिस्टर्ड बयानमा करना कब्जा कराया है तथा हीराताल नाम खातेदारी होने से तथा उसके कांदिज खातेदार होने से तथा उसके वादी पक्ष कर्ता खानदान होने से उसे परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रूपये की आवश्यकता होने से उराने वादीगण की खुसासा जानकारी में तथा उनकी सहमति से प्रतिकूल की चुकती रकम प्राप्त करके कब्जा हम प्रतिवादीगण को करा दिया तथा पंजीकृत बयानमा के जरिये भूमि वादप्रस्त में अपने समस्त अधिकार हम प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को अन्तरित कर वादीगण का अघाय हीराताल विरुद्ध का दिये है तथा उनका /उसमें कोई हक अथवा कब्जा खातेदारी नहीं बच गयी है। जिससे हीराताल प्रतिवादी ने अपने चुकती हिस्से को उसने दिनांक 01.07.1992 को अपने चुकती हिस्से का पक्ष उत्तरांत हेतु राजी खुली से अपने हिस्से का बेघान किया गया है। अतः दावा खारिज किया जावे।


बहरा उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है।

अथ

तनकी संख्या 1 आया वादीगण इस्तादुआ अ के अनुसार राजस्व अधिसूच में दुसरी करने का अधिकारी है। तथा संशोधित तनकीयत तनकी संख्या 1 आया वादीगण का कर्ता खानदान हीरालाल प्रतिवादी संख्या 10.11 को जयें पजीकृत ब्यनामा के समस्त अधिकारात अतरित किये गये है ब्यनामा निरस्त कराये बिना वाद के वाधित अनुतोष प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी नहीं है। प्यय नामे की वैधता बाबत क्षेत्रधिकार सिविल म्यायालय को हसिल म्यायालय हाजा के क्षेत्रधिकार में नहीं है। उक्त दोनो तनकीयात का विवेचन सुधिया की दृष्टि एक साथ किया जा रहा है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण तथा संशोधित तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर पर है वादीगण की ओर से प्रदर्श 1 रायत 2052 से 2071 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 भूमि एकीकरण विभाग खतोनी तथा प्रदर्श 3, 4 विक्रय पत्र दिनांक 28.09.2013 पेश कि गया है तथा प्रदर्श 5 जमाबन्दी स्यात 2073-2078 खाता संख्या नया 103 पुराना 103 पेश किये गया। तथा संशोधित तनकीयात तनकी संख्या 1 आया वादीगण का कर्ता खानदान हीरालाल प्रतिवादी संख्या 10.11 को जयें पजीकृत ब्यनामा के समस्त अधिकारात अतरित किये गये है ब्यनामा निरस्त कराये बिना वाद के वाधित अनुतोष प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी नहीं है। प्यय नामे की वैधता बाबत क्षेत्रधिकार सिविल म्यायालय को हसिल म्यायालय हाजा के क्षेत्रधिकार में नहीं है। उक्त दोनो तनकीयात का विवेचन सुधिया की दृष्टि एक साथ किया जा रहा है।

वादप्रस्त भूमि में वादीगण 1/12 हिस्से की उदाधेचना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 8, 10, 11, 12, 13 के हक में प्रतिवादी संख्या 7 हीरालाल द्वारा किया गया बय नामा अवैध नुन्य व निस्वादी करघना चाहते है। वादीगण का कथन है कि वादप्रस्त भूमि के भीनारयण, बसन्त, सन्धीनारयण, बंदी भीगा पुत्रान रामरतन ब्राह्मण बराबर हिस्से के खातेदार कारतकार रहे है उक्त खातेदारान को मूधु के परघात विवदित भूमि वादीगण के पिता हीरालाल पुत्र बसन्त 1/5 व हीरालाल पुत्र भीनारयण 1/10 हिस्सा प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार भूमि अन्य उत्तराधिकारी प्रतिनिधियों को प्राप्त हुयी है। खर्गित भूमि कारत प्रतिवादी संख्या सात को उराके पूर्वजों से प्राप्त हुयी है और हिन्दू विधि तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्राकधानों के अन्तर्गत परिवार में पुत्र या पुत्री में जन्म लेते ही पूर्वजों से प्राप्त सम्पति पर अधिकार हो जाता है और इस प्रकार वादीगण को उक्त खर्गित भूमि में हीरालाल को समकक्ष बराबर बराबर के हिस्सेदार है इस प्रकार प्रायेक वादी 1/12 तथा प्रतिवादी 7, 16, 17 का प्रायेक का 1/12 1/12 का हिस्सेदार हकदार है हीरालाल ने वादीगण के बिना सुघना व घुपघाप बिना किसी अधिकार विधि विपरीत प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को वादीगण के एक व अधिकार की भूमि में से 25/338 हिस्से का दिनांक 20/4/2009 को खरिये पजीकृत विक्रय पत्र बिना प्रतिकल प्राप्त किये हो बंधान कर दिया और इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या सात हीरालाल ने दिनांक 28/9/2013 को पजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 10 सुरेश को अपने 1/10 हिस्से का दिना प्रतिफल प्राप्त किये ही बिना हक अधिकार विधि विपरीत बंधान कर दिया तथा दिनांक 28/9/2013 को ही विवदित भूमि में से 428/3300 हिस्से का बिना प्रतिकल प्राप्त किये ही बिना हक अधिकार पजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 11 को बंधान कर दिया प्रतिवादी हीरालाल से वादीगण के हिस्से की भूमि को बंधने का कोई अधिकार नहीं था और न है। समस्त विक्रय पत्र व बंधान वादीगण के विलुध अवैध नुन्य व निस्वादी है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रदर्श की 1 किरान साल इनाम हीरालाल अपर जिला म्यायाधीश वादीकुई का निर्णय दिनांक 03.10.2013 प्रदर्श की 2 दावा, प्रदर्श की 3 राजीनाम पेश किया गया प्रदर्श की 4 रायत पत्र खजाम 10 रुपये का पेश किया गया प्रतिवादीगण का भूमि वादप्रस्त में उन्हें व दजह उत्तराधिकार हकक खातेदारी प्राप्त हुए है जिसे हीरालाल प्रतिवादी ने दिनांक 20.04.2009 को खरिये पजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 12, 13 को तथा उक्त हीरालाल प्रतिवादी ने दिनांक 28.09.2013 को मिन प्रतिवादी संख्या 10 सुरेश को अन्तरित कर दिया है जो उक्त भूमि की बाबत सिविल म्यायालय में चल रहे मुकदमे के दौरान किया गया है तथा धारा 52 टीपी एक्ट का उल्लघन नहीं है। वादीगण का यह भी कथन है कि उक्त बंधान सिविल कोर्ट द्वारा दिये गये खगिन के बावजूद किया गया है तथा केष प्रतिवादीगण में भूमि वादप्रस्त पर कब्जा कर रखा है जिससे बेदखल कराया जाये। इत्यादि हम प्रतिवादीगण में अपना वादेस्तार प्रस्तुत करके वादी के दावे का खण्डन किया तथा अपने वादेस्तार में कथन किया है कि प्रतिवादी हीरालाल द्वारा वादीगण की पानकारी में प्रतिकल की चुकती रकम प्राप्त करके


 नयायक कलेक्टर एवं
 न्यायालयक मैजिस्ट्रेट
 (अ.स. नं.) नैफई

प्रतिवादीगण संख्या 10.11 को जॉर्ज रजिस्टर्ड बयनाम करना कब्जा कराया है तथा हीरासास नाम खातेदारी होने से तथा उसके काहेज खातेदार होने से तथा उसके बादी पत्र कर्ता खानदान होने से उसे परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रूपये की आवश्यकता होने से उसने बादीगण की खुलासा जानकारी में तथा उनकी सहमति से प्रतिकूल की चुकती रकम प्राप्त करके कब्जा हम प्रतिवादीगण को करा दिया तथा पंजीकृत बयनाम के जतरिये भूमि कादग्रस्त में अपने समस्त अधिकार हम प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को अन्तर्गत कर बादीगण का अग्रय हीरासास विक्रेता का दिये है तथा उनका /उसने कोई एक अग्रय कब्जा खातेदारी नहीं बच गयी है। जिसमें हीरासास प्रतिवादी ने अपने चुकती हिस्से को उसने दिनांक 01.07.1992 को अपने चुकती हिस्से को घर जलरत हेतु राजी खुरी से अपने हिस्से का बेघान किया गया है। प्रदर्श तीन चार विक्रय पत्र का अवसोकन किया गया जिसमें स्पष्ट अंकन है कि भरे चारिखान को कोई किराी प्रकार का उज व ऐतराज नहीं होगा। विक्रय पत्र विधियत किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि कादग्रस्त भूमि का विक्रय परिवार की जरूरत हेतु विक्रय किया होगा। इसलिये विक्रय पत्र अग्रय शुभ्य घोषित नहीं किया जा सकता है। उक्त तनकी को साबित करने में बादीगण असफल रहे है। उक्त तनकी बादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 आया बादी विवादित भूमि में कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

तनकी संख्या 3 आया बादी प्रतिवादीगण को स्थायी निवेद्याज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

उक्त दोनों तनकीयात एक ही दिवस वस्तु की होने के कारण सुधिया की दृष्टि से दोनों तनकीयात का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। उक्त दोनों तनकीयात को साबित करने का भार बादीगण पर है। बादीगण द्वारा ऐसा दस्तावेजता का विवेचन तनकी संख्या 4 में किया जा चुका है कादग्रस्त भूमि का बेघान विधियत होना बचा गया है। इसलिये बादीगण कादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषित नहीं कर सकते है। जब बादीगण का कादग्रस्त भूमि में हक नहीं बनता है तो कब्जा किसी प्रकार प्राप्त करे एव कादग्रस्त भूमि के प्रतिवादीगण खातेदार है इसलिये उनको स्थायी निवेद्याज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त तनकी को साबित करने में बादीगण असफल रहे है। उक्त तनकी बादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 आया बादी द्वारा दाया वस्तुगुण गसत तरीके से पेश किया है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर बादीगण द्वारा अपने हक की उद्घोषणा का दाया किया गया कादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण द्वारा विधियत कय की गई है। इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।


तनकी संख्या 5 आया प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि विक्रयकस की चुकती रकम अदा कर खरीदी गई है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श 3.4 से साबित है कि कादग्रस्त भूमि का विक्रय प्रतिकूल राशि प्राप्त कर किया जाना प्रतीत होता है। उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादीगण सफल रहे है। तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

संशोधित तनकीयाततनकी संख्या 2 आया कादग्रस्त भूमि पर कादग्रस्त कब्जा बादीगण नहीं होने से पाद बादीगण स्थाई निवेद्याज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर कादग्रस्त भूमि जय विक्रय पत्र प्रतिवादीगण ने कय की गई। प्रतिवादीगण कादग्रस्त भूमि के खातेदार कमतकार है। इसलिये किसी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में स्थाई निवेद्याज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादीगण सफल रहे है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

8 अनुच्छेद - तनकी संख्या 1 सगायात 5 एव संशोधित तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अग्रार पर कादग्रस्त भूमि का विक्रय बच जरूरत प्रतिकूल राशि प्राप्त कर किया गया है। जिसमें स्पष्ट अंकित है कि भुजको दा भरे चारिखान को कोई किराी प्रकार का उज व ऐतराज नहीं होगा। इसलिये दाया घोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना घोषित प्रतीत होता है।

अथ

अतः आदेश है कि यदि वादीगण दावा उद्घोषणा दुलसी इन्द्राज खातेदारी एवं स्वाधी निवेधाना व वेदखली कबत भूमि कागस स्थित पीचुपाडा कसा ताहरील बादीकुई जिला टीरा भूमि कागस खसरा नम्बर 800 रकबा 0.19 हैक्टै. खसरा नम्बर 801 रकबा 0.23 हैक्टै. खसरा नम्बर 802 रकबा 0.23 हैक्टै. खसरा नम्बर 803 रकबा 0.49 हैक्टैयर खसरा नम्बर 805 रकबा 0.48 हैक्टै. खसरा नम्बर 808 रकबा 0.48 हैक्टै. खसरा नम्बर 807 रकबा 0.23 हैक्टै. खसरा नम्बर 808 रकबा 0.29 हैक्टैयर खसरा नम्बर 809 रकबा 0.47 हैक्टै. खसरा नम्बर 810 रकबा 0.18 हैक्टै. खसरा नम्बर 820 रकबा 0.18 है हैक्टै. कुल जिला 11 रकबा 3.38 हैक्टैयर का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पचां डिडी जारी होकर प्रकरण बाद तकनील दाखिल दफतर हो। येरे द्वारा आज दिनांक 13.03.2026 को खुले म्यायालय में सुनाया गया।


 (राजेश कुमार) 26
 जज (अधीनस्थ)
 राहायऊ कलक्टर (कांटेन्टेक) गी.पं.
 बादीकुई